भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2949
दिनांक 18 मार्च, 2026 / 27 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

एमपीएफ का कार्यान्वयन

2949. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) के लिए आवंटित, संस्वीकृत और जारी की गई धनराशि का उप-योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आवंटित बजट का राज्य सरकारों द्वारा उपयोग कम रहा है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के लिए कोई अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) के लिए आवंटित, संस्वीकृत और जारी की गई धनराशि का उप-योजनावार ब्योरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के प्रयासों में सहयोग करती है।

आवंटित धनराशि के उपयोग और कार्य योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विभिन्न पत्राचारों और बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2949, दिनांक 18.03.2026

(ग): गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बीपीआरएंडडी, एनसीआरबी और एनआईसी के साथ समन्वय से न्याय संहिताओं के अंतर्गत सीसीटीएनएस, ई-फोरेंसिक्स, ई-अभियोजन और ई-जेल जैसे मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्मों को उन्नत (अपग्रेड) करके तथा ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय श्रुति और मेडलीपआर (MedLeaPR) जैसे नए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान की। ई-साक्ष्य अपराध स्थल से साक्ष्य के संग्रह और बीएनएसएस के तहत परिकल्पित संबंधित प्रक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है; ई-समन डिजिटल समन जारी करने और उन्हें पहुंचाने को सक्षम बनाता है; न्याय श्रुति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयों में साक्ष्य को सक्षम बनाता है; और मेडलीपआर मेडिको लीगल रिपोर्टों (एमएलआर) और पोस्टमार्टम रिपोर्टों (पीएमआर) को डिजिटल रूप से कैप्चर करने में सक्षम बनाता है। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 1771.64 करोड़ रुपये का आवंटन स्वीकृत किया गया है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2949, दिनांक 18.03.2026

अनुलग्नक

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/उप-योजना	2021-22		2022-23		2023-24	
		आवंटित (ब.अ.)	संस्वीकृत/जारी की गई	आवंटित (ब.अ.)	संस्वीकृत/जारी की गई	आवंटित (ब.अ.)	संस्वीकृत/जारी की गई
1.	पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता	620.45	158.57	620.45	36.69	264.12	52.3025
2.	आंध्र प्रदेश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए सहायता	28.75	0	37.40	0	43.50	13.71
3.	भारतीय रिजर्व बटालियनों/विशेषीकृत भारतीय रिजर्व बटालियनों (आईआरबीएन/एसआईआरबी बटालियन) का गठन	25.00	25.00	7.80	7.80	26.19	26.19
4.	एसआरई (पूर्वोत्तर)	185.25	443.72	185.25	281.53	300	500
5.	एसआरई (एलडब्ल्यूई)	266.95	306.95	266.95	306.95	400	400
6.	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस)	40	32.22	40	190	150	65.29
7.	वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता	100	143.81	100	100.34	145.43	99.35
8.	वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों और संवेदनशील जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)	782.58	487.5	782.58	210	834.63	154.24
9.	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक कार्य योजना (कैप)	19	19	19	19	19	18.99
10.	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मीडिया योजना (विज्ञापन एवं प्रचार)	7.13	7.12	7.13	7.13	8	7.68
11.	एसआरई (जम्मू और कश्मीर) – राहत एवं पुनर्वास (आरएंडआर)	202.35	730.01	202.35	719.73	300.81	608.79
12.	एसआरई (जम्मू और कश्मीर) – सुरक्षा वातावरण	23.75	21.80	23.75	20.69	23	28.98
13.	एसआरई (जम्मू और कश्मीर) – पुलिस	500	936.10	500	810.63	600	710

जारी.....

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2949, दिनांक 18.03.2026

अनुलग्नक

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/उप-योजना	2024-25		2025-26	
		आवंटित (ब.अ.)	संस्वीकृत/जारी की गई	आवंटित (ब.अ.)	संस्वीकृत/जारी की गई
1.	पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता	520.51	117.15	540.00	449.5077
2.	आंध्र प्रदेश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए सहायता	47.97	23.985	47.97	47.97
3.	भारतीय रिजर्व बटालियनों/विशेषीकृत भारतीय रिजर्व बटालियनों (आईआरबीएन/एसआईआरबी बटालियन) का गठन	55.13	55.13	22.78	22.78
4.	एसआरई (पूर्वोत्तर)	433	433	453.26	433.32
5.	एसआरई (एलडब्ल्यूई)	425	325	425	350.68
6.	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस)	155	4.49	150	37.33
7.	वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता	150	100.02	200	124.66
8.	वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों और संवेदनशील जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)	856	274.97	700	316.36
9.	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक कार्य योजना (कैप)	19	17.26	20	13.08
10.	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मीडिया योजना (विज्ञापन एवं प्रचार)	8	8	10	9.41
11.	एसआरई (जम्मू और कश्मीर) – राहत एवं पुनर्वास (आरएंडआर)	430.61	634.61	600	600
12.	एसआरई (जम्मू और कश्मीर) – सुरक्षा वातावरण	23	22.82	23	22.45
13.	एसआरई (जम्मू और कश्मीर) – पुलिस	700	968	900	472
